TO BE PUBLISHED IN PART-I SECTION-I OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

Udyog Bhavan, New Delhi 1st December, 2016

Sub: Extension of operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2017.

No.1/61/2004-Exports-I (2) – The Government, vide Notification No.1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy initially for one year with effect from 1st January, 2005, and extended from time to time. These provisions have since been extended upto 31st December, 2016.

- 2. The Government hereby decides to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics & Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy for a further one year with effect from 1st January, 2017.
- 3. All other terms and conditions of the Notification dated 9th November, 2004 mentioned in Para 1 remain unchanged.

(G.K. Rajnish) Under Secretary Government of India Ph. 2306 3837 Fax No.2306 1973 Email: teptj2@nic.in

To

The Manager, Government of India Press, Faridabad, Haryana.

(भारत के राजपत्र के भाग । खंड - । में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 1 दिसम्बर, 2016

विषय: यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी 2017 से आगे बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I(2) - सरकार द्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अविशष्ट प्रावधानों के प्रचालन को दिनांक 9 नवंबर, 2004 की अधिसूचना सं.1/61/2004-निर्यात-I द्वारा प्रारंभ में 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय किया गया था तथा उन्हें तत्पश्चात समय-समय पर बढ़ाया गया था । इन प्रावधानों को तब से 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया है ।

- 2. सरकार ने एतदद्वारा यार्न, फैब्रिक्स और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति के अविशष्ट प्रावधानों के प्रचालन को 1 जनवरी, 2017 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।
- 3. पैरा 1 में उल्लिखित दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(जी.के.रजनीश)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23063837

फैक्स सं.:23061973

ई-मेल:teptj2@nic.in

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, हरियाणा